(40)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/4893 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.09.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 94/अपील/16-17.

राम मनोहर अग्रवाल,
आ. स्व. सेठ नारायण दास अग्रवाल
निवासी- रागिनी साड़ी सेंटर
लखेरापुरा चौक भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा जिलाध्यक्ष भोपाल .....अनावेदक

श्री एम.ए. खान, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 27.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक राम मनोहर की मां स्व. श्रीमती भागवती बाई पत्नी सेठ नारायण दास ने बिक्री पत्र दिनांक 18.04.56 के अनुसार भूखण्ड क्रय किया था, उक्त भूखण्ड पर नामांतरण हेतु अंपर तहसीलदार, नजूल वृत्त गोविन्दपुरा में नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 59/अ-6/1999-2000 दर्ज कर दिनांक 30.05.2007 को आदेश पारित करते हुए आवेदक का नामांतरण अस्वीकार किया गया। अपर तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गोविन्दपुरा वृत्त भोपाल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समयबाह्य मानते हुये

निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा आदेश दिनांक 05.02.2015 में प्रकरण का गुण-दोष के आधार पर निराकरण करने हेतु निर्देश दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के पालन में पुन: अपील प्रकरण क्रमांक 07/अपील/2014-15 दर्ज कर दिनांक 28.11.2016 को आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा अपर तहसीलदार के आदेश को यथावत् रखते हुए अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27.09.2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदक की माता श्रीमती भागवती बाई के द्वारा प्रस्तुत दावा की प्रति भी अधीनस्थ एवं माननीय उच्च न्यायालय में लिखित तर्क के साथ प्रस्तुत है, जिसके चरण क्रमांक 1 में आवेदक के भूखंड की मौके पर स्थिति, क्षेत्रफल और चतुर्सीमाएं दर्शायी गई हैं और चरण 3 में आवेदक की भूमि के खसरा नं. 107, 160/1 का उल्लेख किया है, जिसके संबंध में तत्कालीन जिलाध्यक्ष के आदेश दिनांक 17.01.1966 का भी उल्लेख है, जो कि न्यायालय ने प्रभावहीन घोषित किया है।

(2) प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 2 के रूप में तत्कालीन ग्राम पंचायत भानपुर और प्रतिवादी क्रमांक 3 के रूप में राजाराम काछी पक्षकार थे। राजाराम काछी ने प्रकरण के विचाराधीन रहने की अवस्था में न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.१२.1989 को कथन अंकित कराते हुए उसके आधिपत्य की जगह 15 गुणित 15 फिट में आवेदक की माता का किरायेदार होना स्वीकार किया है।

(3) आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1/89 में पारित आदेश के अनुपालन को रोकने के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से उक्त लालजी राम चौकसे की ओर से उसके अन्य पुत्र ओम प्रकरण चौकसे ने एक व्यवहार वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश भोपाल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, जिसके प्रभाव से अपराधिक प्रकरण क्रमांक 1/89 में आगामी कार्यवाही स्थगित करा ली गई। लालजी राम

व ओमप्रकाश चौकसे द्वारा प्रस्तुत दावा नि.व्य.वाद क्रमांक 23-ए/04 के रूप में पंजीबद्ध होकर निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 31.01.2008 के द्वारा निरस्त कर दिया है। पारित निर्णय में भी सभी निष्कर्ष आवेदक के पक्ष में प्रदान किये हैं, जिसमें निर्णय के चरण क्रमांक 38 में महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया गया कि "मध्यप्रदेश शासन के विरूद्ध पूर्व निर्णित व्यवहार वाद क्रमांक 38/अपील/82 में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 भोपाल के द्वारा 19.12.89 को निर्णय पारित करते हुए वादग्रस्त भूमि श्रीमती भागवती बाई के स्वामित्व की मानते हुए इसे शासन के द्वारा डायवर्ट करने का आदेश निरस्त किया गया। यह निर्णय अखंडित है और मध्यप्रदेश शासन पर बंधनकारी है।" पारित निर्णय के प्रभाव से प्रकरण क्रमांक 1/89 की आगामी कार्यवाही हेतु स्थगन स्वत: समाप्त हो गया और उक्त प्रकरण वर्तमान समय में भी विचाराधीन है।

(4) आवेदक ने वादग्रस्त भूखंड के एक भाग को रिक्त कराने हेतु एक व्यवहार वाद किरायेदार स्वर्गीय राजाराम काछी के पुत्रगणों के विरूद्ध निष्कासन हेतु न्यायालय सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, भोपाल के समक्ष दिनांक 20.08.04 को प्रस्तुत किया जो कि नि.व्य.वाद क्रमांक 118-ए/03 के रूप में विचाराधीन होकर निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 23.02.06 के द्वारा आवेदक के पक्ष में निर्णित किया है। इस प्रकार से उपरोक्त उल्लेखित सभी प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन आवश्यक रूप से पक्षकार रहा है और अपना युक्तियुक्त पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

(5) उपरोक्त तथ्यों से यह भलीभांति रूप से निर्विवादित रूप से स्वीकृत तथ्य है कि आवेदक आवेदित भूमिका एक मात्र स्वामी और आधिपत्यधारी है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि व्यवहार न्यायालय का निर्णय राजस्व न्यायालय पर विधिक रूप से बंधनकारी है, जिसका यथावत् रूप से राजस्व न्यायालय को सम्मान करना चाहिए। आवेदक की माता स्व. श्रीमती भागवती बाई के नाम का इन्द्राज वर्ष 1965-66 से वर्ष 1968-69 के खसरा पांच साल पर राजस्व प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 28.03.1966 के परिपालन में अंकित हुआ है, अत: आवेदक को उसकी स्व. माता के विधिक उत्तराधिकारी और वसीयतनामा अभिलेख से व्युत्पन्न विधिक अधिकारों के अधीन राजस्व अभिलेखों में स्वयं के नाम की प्रविष्टि भू-स्वामी के रूप में अंकित कराने की विधिवत् पात्रता है।

(6) व्यवहार न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय एवं जयपत्र राजस्व न्यायालयों पर यथास्वरूप बंधनकारी होता है, उसमें तर्क वितर्क किया जाकर अमान्य किये जाने का कोई तकनीकी

आधार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उपरोक्तानुसार स्थापित न्यायिक परम्परा के विपरीत होकर मात्र शासन हित दर्शाते हुए आवेदक की अपील को निरस्त किया है, जो विधिसम्मत नहीं है।

उपरोक्त तर्कों के समर्थन में रा.नि. 2005 पृष्ठ 202 से 205 एवं रा.नि. 2007 पृष्ठ 297 से 298 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं। अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन वर्तमान में शासकीय दर्ज होकर उस पर शासकीय स्कूल व भवन बना हुआ है। ऐसी स्थिति में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदकका आवेदन निरस्त करने में सही कार्यवाही की है। शासकीय भूमि को निजी हक में दर्ज कराने के लिए संहिता की धारा 57(2) में शासन ही सक्षम है। आवेदक संहिता की धारा 57(2) के तहत शासन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है। अतः इस संबंध तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-9-2017 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-9-2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर